कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर बलिया में स्थित 01 अदद पूड़ी मिठाई चाय नमकीन की दूकान नं0 4 जिसकी नीलामी दिनाकं 27।03।2025 एवं 08।04।2025 को नियत नीलामी तिथि पर किसी द्वारा बोली न लगाने के कारण नही हो पायी है। उक्त दुकान को वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनाकं 01।05।2025 से 31।03।2026 तक के लिये की जानी है तथा उक्त दुकान की सरकारी बोली की धनराशि अंकन 23572/- रूपये नियत की गयी है । माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में पुन: उक्त दुकान की नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में **दिनाकं 23।04।2025 को सायं 4.00 बजे से खुली बोली के** आधार पर की जायेगी । अतएव जिन महानुभाव को उक्त दुकान की नीलामी लेनी हो वह **नियत दिनाकं 23।04।2025** को केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय से उपस्थित आकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं ।

बोली लगाने की शर्ते

1 उपरोक्त वर्णित दूकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये की जानी है । **उक्त दुकान की सरकारी बोली की धनराशि अंकन 23572/- रूपये** नीलाम समिति द्वारा नियत किया गया है ।

2 प्रत्येक बोलीकर्ता को जमानत धनराशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के नीलामी धनराशि का 1/4 भाग वतौर जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा । जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही सम्बन्धित व्यक्ति नीलामी में भाग ले सकता है ।

3 जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होगी नीलामी की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।

4 प्रत्येक बोली कर्ता अपने 2 बोली से बाध्य होगा । भले ही वह ऊचीं या नीची हो । यह भली भॉति समझना चाहिए कि नीलामी की राशि माफी पर किसी भी दशा में विचार नही किया जा सकता है ।

5 प्रत्येक बोली कर्ता अपने अपने आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा मूल साथ लाना होगा ।

6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी बोली को विना कारण बताये निरस्त कर सकते है तथा अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान का स्थान बदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नही होगा ।

7 नीलाम प्राप्तकर्ता को नीलाम की धनराशि 4 बराबर किश्तों में पहली किश्त माह मई-2025, दूसरी किश्त माह जुलाई , तीसरी किश्त माह अक्टूबर तथा चौथी किश्त माह जनवरी 2026 में जमा करना होगा । कोई भी धनराशि बकाया रह जाने पर उसकी वसूली भू राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी ।

अध्यक्ष
नीलाम समिति/ अपर जिला जज
कोर्ट सं0 1 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

1 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3 जिला पंचायत परिषद/नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4 लो0नि0वि0 बालिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
5 जिला जज बलिया के बवसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।
6 स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

अध्यक्ष
नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं0 1 बलिया ।